तृतीय अध्याय

मध्याह्न भोजन योजनाः अध्ययन क्षेत्र के परिदृश्य में

भारत की आजादी के पश्चात् भारत में आज भी अनेक समस्याएं विद्यमान हैं, जो अनेक प्रयासों के बावजूद भी देश में वैसी की वैसी विद्यमान हैं और जिससे देश आज भी घिरा हुआ है जैसे– मानवीय मूल्यों की कमी, आंतकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के गिरते स्तर की है। जो आजादी के बाद 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू होने के बाद भी आज तक बनी हुई है। शिक्षा की समस्या में सबसे अधिक समस्या उन गरीब बच्चों के लिए है जिनको पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिल पाता और उन्हें कमाई करने के लिए माता–पिता के साथ जाना पड़ता है जिस के कारण वे विद्यालयों में आ ही नहीं पाते। गरीब बच्चों की इस मजबूरी को समझते हुए, शिक्षा को गरीब बच्चों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 2004–05 में हरियाणा में मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्री का उद्देश्य हरियाणा सरकार में मध्याह्न भोजन योजना का अवलोकन करना है और इसके लिए आवश्यक है कि हरियाणा राज्य का भी ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रशासनिक, भौगोलिक व शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया जाए।

3.1 हरियाणा राज्य : एक परिचय

हरियाणा शब्द संस्कृत के हरि (हिन्दु देवता विष्णु) और आयना (घर) शब्दों को मिलाकर बना है। हरियाणा उत्तरीय भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चण्डीगढ़ है। भाषायी आधार पर यह एक नवम्बर 1966 को पंजाब से अलग करके स्थापित किया गया। हरियाणा का नाम अपयुंश लेखक विबृद्ध श्रीधर (1189–1230) के द्वारा प्रयोग किया गया। इसकी सीमा पूर्व में पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान से जुड़ती है। उत्तर प्रदेश से पूर्व में यमुना नदी

इसकी सीमा का निर्धारण करती है। हरियाणा देश की राजधानी दिल्ली को तीन ओर से घेरे हुए है और दिल्ली की दक्षिणी पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा हरियाणा से लगती है। विकास योजनाओं के उद्देश्य से हरियाणा का बहुत बड़ा भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया हुआ है।

3.1.1 हरियाणा राज्य : ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य

हरियाणा उतरी भारत का एक राज्य है यह 27^0 37′ से 30^0 35′ उतरी आक्षांश और 74^0 28′ और 74^0 36′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है जिसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यह समुद्र तल से 700 से 3,600 फुट ऊंचाई पर स्थित है। चण्डीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है।

सम्पूर्ण भारत में ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति की झलक इस राज्य में प्रमुख तौर पर दिखाई देती है। इस क्षेत्र में बहुत सी निर्णायक लड़ाइयां लडी गई हैं जिन्होनें भारतीय इतिहास की रुपरेखा को बदल दिया। हिन्दू धर्म शास्त्रों में वर्णित कुरुक्षेत्र में लड़ी जाने वाली महाभारत की वीरगाथा यहीं सम्पन्न हुई जिसमें कृष्ण के द्वारा भगवत गीता का उपदेश दिया गया और ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पानीपत की तीन लड़ाइयां भी यहीं पर लड़ी गई। ब्रिटिश काल में हरियाणा पंजाब का एक भाग ही था परन्तु जिसे भाषायी आधार पर भारत के 17वें राज्य के रुप में 1 नवम्बर, 1966 को अलग राज्य के रुप मान्यता मिली। आज ये राज्य भारत के खाद्यान और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। यहां के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और इसके मैदानी भागों की सिंचाई सबमर्सिबल पम्पों और नहरों के द्वारा होती है। 1960 के दशक में हरित क्रान्ति लाने में हरियाणा का योगदान महत्वपूर्ण रहा जिसने देश को खाद्यान में आत्मनिर्भर बनाया। हरियाणा की गिनती भारत के अमीर राज्यों में होती है। हरियाणा दक्षिणी एशिया के आर्थिक विकसित क्षेत्रों में से एक है और अपनी स्थापना से लेकर अब तक हरियाणा निरन्तर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में नये मुकाम हासिल करता जा रहा है। सन 2000 से यह राज्य प्रति व्यक्ति निवेश में भी भारत में अधिक

उपलब्धता का श्रेय लेता रहा। हरियाणा का गुरुग्राम जिला सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटो मोबाईल कारखानों में एक हब की तरह काम कर रहा है। गुरुग्राम मारुति सूजुकी का घर रहा है। साथ ही यह भारत का सबसे बडा ऑटोमोबाइल का निर्माता और दुपहिया वाहन के लिए हीरो मोटर कॉरपोरेशन का दाता है। फरीदाबाद, पंचकूला, धारुहेडा, बावल, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ, यमुनानगर और रेवाडी औद्योगिक हब हैं और पानीपत में तेल शोधक कारखाना हैं। जो दक्षिण एशिया का दूसरा बडा तेल शोधक कारखाना है राज्य में लम्बे समय से स्थापित स्टील, प्लाईवुड, कागज और कपडों के कारखाने भी हैं।[1]

अर्थ एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग हरियाणा द्वारा प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में हरियाणा राज्य के मण्डल, उपमण्डल, जिला, तहसील, उपतहसील तथा खंडों को शामिल किया गया है। हरियाणा राज्य के प्रशासन में चार मण्डल और 22 जिले हैं और जिलों को उपमण्डलों में बांटा गया है, जिनकी संख्या 62 है। हरियाणा में 83 तहसीलें और 47 उप–तहसीलों को भी शामिल किया गया है। प्रत्येक जिला को कई खंडों में विभाजित किया हुआ है जिसमें 126 खंड शामिल हैं।[2] इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 3.1

हरियाणा राज्य : प्रशासनिक ढ़ांचा

क्र0 स0	विवरण	संख्या
1	मण्डल	4
2	जिले	22
3	उपमण्डल	62
4	तहसीले	83
5	उप–तहसीले	47
6	खंड	126

(स्त्रोत– अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा, 2016)

3.1.2 हरियाणा राज्य : साक्षरता आयाम

साक्षरता को सामाजिक तथा आर्थिक विकास का प्रमुख आधार माना जाता है। ज्यों–ज्यों विकास का चक्का आगे चलता है त्यों–त्यों समाज में रहने वाले लोगों का साक्षरता स्तर भी ऊँचा होता जाता है। अतः निम्न तालिका द्वारा हरियाणा में साक्षरता के स्तर को जांचने का प्रयास किया गया है। यह तालिका दर्शाती है कि स्त्री व पुरुषों की साक्षरता दर बराबर नहीं है। जिसको तालिका 3.2 में नीचे दर्शाया भी गया है–

तालिका 3.2

हरियाणा में साक्षरता[3]

क्र0 स0	विवरण	सन् 2001		सन् 2011	
		कुल साक्षर	साक्षरता दर (प्रतिशत में)	कुल साक्षर	साक्षरता दर (प्रतिशत में)
1.	पुरुष साक्षरता	74,80,209	78.49	99,91,838	85.40
2.	महिला साक्षरता	46,13,468	55.73	69,12,486	66.80
3.	कुल साक्षरता	1,20,93,677	67.91	1,69,04,324	76.69

उपरोक्त तालिका 3.2 के संदर्भ से स्पष्ट होता है कि जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार कुल साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत थी जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 78.50 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 55.73 प्रतिशत थी। जनगणना वर्ष 2011 के अंतिम आकडों के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 76.69 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर 85.40 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 66.80 प्रतिशत है अर्थात् वर्ष 2001–2011 के दशक में राज्य की साक्षरता दर 8.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में क्रमशः 6.90 प्रतिशत तथा 11.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

हरियाणा में सन् 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता संख्या 74,80,209 और महिलाओं की साक्षरता संख्या 46,13,468 थी। सन् 2011 की

जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता संख्या बढ़कर 99,91,838 तक पहुंच गई तथा महिलाओं की साक्षरता संख्या 69,12,486 तक पहुंच गई। सन् 2001 और सन् 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर महिलओं की संख्या, साक्षर पुरुषों की संख्या की तुलना में बहुत कम है।

3.1.3 हरियाणा राज्य : हिसार मण्डल का परिचय

हरियाणा राज्य में चार मण्डल हिसार, अम्बाला, रोहतक व गुरुग्राम हैं। वर्तमान शोध के लिए शोधकर्त्री ने हरियाणा राज्य के हिसार मण्डल का चयन किया हुआ है। हिसार मण्डल के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न जिलों से संबंधित कुछ आयाम निम्न प्रकार से हैं–

3.1.3.1 हिसार जिला : विभिन्न आयाम

हिसार, हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से एक जिला है। हिसार शहर इस जिले का मुख्यालय भी है। यह जिला हिसार मण्डल का एक भाग है। 1966 में हरियाणा के पुर्नगठित होने से पूर्व हिसार सबसे बडा जिला था। 1974 में भिवानी और लोहारु तहसील को जिला भिवानी में स्थानान्तरित कर दिया गया। हिसार को फिर विभाजित कर सिरसा जिला बनाया गया और बाद में इसी में से फतेहाबाद जिला बनाया गया। हिसार, हिसार मण्डल का मण्डलीय मुख्यालय भी है। मण्डल आयुक्त के साथ ही यह पुलिस रेंज का भी मुख्यालय है। यह बी. एस. एफ. (सीमा सुरक्षा बल) की थर्ड बटालियन, हरियाणा सशस्त्र पुलिस और कमांडो फोर्स का भी मुख्यालय है। इन सब विभागों को समायोजित करने के लिए जिला प्रशासन काम्पलैक्स बनाया गया है। और 1980 में सभी कार्यालय यहां स्थानांतरित कर दिए गए और सभी कार्यलय 5 मंजिला जिला प्रशासन परिसर में स्थित है। इसके साथ ही हिसार में न्यायालय परिसर भी है, जो कार्य रुप में है। यह प्रशासनिक एवं न्यायालीय परिसर हरियाणा में जिला मुख्यालयों में सबसे बडा है कदाचित, यह देश के सबसे बडे परिसरों में से एक है। यह सिंधु घाटी की सभ्यता से भी संबधित पांच शहरों में से एक है और हिसार का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास की

पुस्तकों में भी आता है। बनाँवाली के कारण इसका नाम सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में भी शामिल है। दुनिया के पांच बड़े फार्मों में से एक फार्म यहां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यह फरीदाबाद को छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। जिन्दल स्टेनलेस स्टील फैक्टरी की वजह से शहर स्टील शहर के रुप में भी प्रसिद्ध है। यह पिटवां लोहे का सबसे बडा निर्माता के रुप में भारत में प्रसिद्ध है। वर्तमान में हिसार जिले में हिसार, हांसी, नारनौंद और आदमपुर तहसीलें तथा बरवाला, उकलाना और बास उप तहसीलें शामिल हैं। हिसार में विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आदमपुर, उकलाना, नारनौद, हांसी, बरवाला और नलवा हैं और ये सभी विद्यानसभा क्षेत्र हिसार लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 17 लाख 42 हजार 815 थी, जो कि जाम्बिया देश या अमेरिका के नैब्रास्का राज्य के बराबर है। यह भारत के 640 जिलों में से जनसंख्या के आधार पर 267वां जिला था। इस जिले का जनसंख्या घनत्व 438 व्यक्ति प्रति किलोमीटर तथा 1130 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। 2001–11 के दशक की आबादी में इसकी वृद्धि दर 13.38 प्रतिशत रही और हिसार जिले का लिगांनुपात 1000 : 871 है और यहां की साक्षरता दर 73.2 प्रतिशत है।

हिसार जिले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, गुरु जम्मेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय भी स्थापित हैं तथा इनके अतिरिक्त हिसार में एक यू0 सी0 एम0 ए0 एस0 (यूनिवर्सल कन्सेप्ट ऑफ मैंटल अर्थमैटिक सिस्टम) डी0 एल0 ए0 की एक प्रमुख संस्था है जो 4 से 13 साल की उम्र तक के बच्चों के मानसिक विकास के लिए कार्य कर रही है। यही नहीं तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त हिसार के स्टडी मैट्रिक इन्स्टीट्यूट में व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती है।[4]

3.1.3.2 फतेहाबाद जिला : विभिन्न आयाम

इस जिले का नाम 14वीं शताब्दी में इस के संस्थापक फिरोजशाह तुगलक ने रखा था और यह नाम उसके बेटे फतेहखान के नाम के पीछे रखा गया था। यह जिले के तौर पर 15 जुलाई 1997 में हिसार जिले से पृथक करके बनाया गया था। आर्य भाषाओं को बोलने वाले सर्वप्रथम सरस्वती और दृष्द्वति नदियों के किनारे पर बसे थे और फिर हिसार और फतेहाबाद के बहुत बड़े भाग में फैल गए। संभवत् यह क्षेत्र पाण्डवों और उनके उतराधिकारियों के राज्य में भी शामिल था। पाणिनी ने भी इस इलाके के बहुत से कस्बों का नाम अपनी पुस्तकों में लिया है। जैसे इस्सुकारी, तोशियाना और रोरी जिनकी पहचान हिसार, टोहाना और रोड़ी के रुप में की जाती है। हुमायूं मस्जिद के नाम की फतेहाबाद में एक छोटी और सुन्दर मस्जिद भी है जिससे जुड़ी लोककथा तो यह है कि शेरशाह सूरी से हारने के बाद फतेहाबाद में से गुजरते हुए इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। अकबर के समय में फतेहाबाद एक महत्वपूर्ण किला माना जाता था। नवम्बर 1884 में सिरसा जिला को खत्म कर दिया गया और गांवों के बटंवारे के बाद सिरसा को तहसील बना दिया गया। 1889 में 15 गांवों से एक ब्लॉक (खण्ड) बुढ़लाडा बनाकर कैथल तहसील से फतेहाबाद तहसील में स्थानातरित कर दिया।

2011 की जनगणना के अनुसार फतेहाबाद जिले की जनसंख्या 9 लाख 42 हजार 11 है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व 371 प्रतिवर्ग मीटर किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001–2011 के दशक के मुकाबले में इसकी जनसंख्या वृद्वि 11.08 प्रतिशत रही है। जिसमें 1000 नर के पीछे 805 औरतें है। और इसकी साक्षरता दर 67.92 प्रतिशत है।[5]

3.1.3.3 सिरसा जिला : विभिन्न आयाम

सिरसा जिला हरियाणा के जिलों में से एक है। इसका मुख्यालय सिरसा में है और यह दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर स्थित है। इस जिले का नाम इसके मुख्यालय के नाम पर ही है। सिरसा का प्राचीन नाम संस्कृत नाम सैरीशका से बना है। जिसका महाभारत अष्टाध्यायी और दिव्यवदन में उल्लेख

है। महाभारत में सैरीशका को नकुल ने अपनी पश्चिमी भूभाग पर विजय के दौरान कब्ज़े में किया था। पाणिनी के वर्णनानुसार यह पांच सदी ईस्वी पूर्व समृद्ध शहर रहा होना चाहिए। इस कस्बे के मूल नाम के बारे में कई किवदन्तियां है। इसका प्राचीन नाम सैरीशका था, जो शायद बिगड़ कर सिरसा बन गया है। स्थानीय धारणा के अनुसार सातवीं शताब्दी में सरास नामक किसी अज्ञात राजा ने इसकी नींव डाली थी और यहाँ एक किला भी बनाया था। 1 नवम्बर 1966 को यह फिर नवनिर्मित हरियाणा का भाग बना, 1968 में सिरसा तहसील को फिर सिरसा और डबवाली को दो तहसीलों में बांट दिया गया। हिसार जिले की सिरसा व डबवाली तहसीलों को मिलाकर के 1 सितम्बर 1975 को यह वर्तमान जिला अस्तित्व में आया। 1906 में पंचायती राज मंत्रालय में देश के सबसे पिछड़े 250 जिलों में सिरसा का नाम रखा। यह वर्तमान हरियाणा के दो जिलों में से एक है जो अब बैकवर्ड रीजनस ग्रांट फंड प्रोग्राम से अनुदान लेता है। यह जिला चार तहसीलों से मिलकर बना है– सिरसा, डबवाली, रानियां, ऐलनाबाद। यह तहसीलें फिर आगे सात खण्डों में विभाजित होती हैं। सिरसा में चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की जनसंख्या 12 लाख 95 हजार 189 है। जो मॉरिशस और अमेरिका के न्यू हम्पशायर के बराबर है। यह भारत में 640 जिलों में से 378वें स्थान पर है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व 303 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001–2011 के दशक के मुकाबले में इसकी जनसंख्या वृद्धि की दर 15.99 प्रतिशत रही है। जिसमें 1000 नर के पीछे 897 औरतें है और इसकी साक्षरता दर 68.82 प्रतिशत है।[6]

3.1.3.4 जीन्द जिला : विभिन्न आयाम

जीन्द जिला हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से एक है, जो उत्तरी भारत में है। जीन्द कस्बा इस जिले का प्रशासकीय मुख्यालय है। यह हिसार मण्डल का एक भाग है और 1966 में बना था। यह सिक्ख राजधानियों में से एक राजधानी रहा हैं, जीन्द हरियाणा के मध्य में है और सोनीपत, रोहतक और हिसार जिले के साथ यह

जाट बाहुल्य का चौथा जिला है। 1627 में फूल ने अपने नाम से एक गांव की नींव रखी, जो नाभा राज्य में था। इसके दो बड़े बेटों, भाई रुपा और भाई रामा ने रामपुरा फूल बसाया। इतिहास हमें बताता है कि जीन्द की नींव फूल जाट के वंशजों ने ही डाली। जीन्द हरियाणा का स्वतंत्र राज्य था। आजाद और 1947 की आजादी के बाद जीन्द राज्य को भारत संघ में शामिल कर दिया गया और 15 जुलाई 1948 को वर्तमान राज्य जिले का क्षेत्र, पटियाला और पूर्व पटियाला संघ के संगरुर जिले का भाग बना। जब 1 नवम्बर 1966 को नया राज्य हरियाणा बना तो संगरुर जिले के विभाजन के साथ जीन्द और नरवाना तहसील जीन्द जिले में शामिल कर दी गईं जो हरियाणा के सात जिलों में से एक जिला था। 1967 में जीन्द तहसील को जीन्द और सफीदों दो तहसील में विभाजित कर दिया गया। यह जिला तीन उपमण्डलों, जीन्द, नरवाना और सफीदों से मिलकर बना हुआ है। जीन्द उपमण्डल को आगे तीन जीन्द तहसील जुलाना और अलेवा उपतहसील में बांट दिया गया। जीन्द कस्बे में अर्जुन स्टेडियम, एक दुग्ध संयंत्र, पशु आहार संयंत्र एवं एक बड़ी अनाज मण्डी है। यहाँ ठहरने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस, कैनाल रेस्ट हाउस और मार्केट कमेटी रेस्ट हाउस भी है। इस शहर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और दूसरी मूलभूत सुविद्याएं उपलब्ध हैं। जीन्द शिव मदिंरों के कारण भी प्रसिद्ध है। परम्पराएं इस शहर को महाभारत काल से जोड़ती हैं। यहाँ पर रानी तालाब एक पर्यटन स्थल है। पाण्डू–पिंडारा और रामराय अमावस्या स्नान के लिए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र है। जीन्द में चौधरी रणबीर सिहं विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार जीन्द जिले की जनसंख्या 13 लाख 34 हजार 152 है, जो मॉरिशस देश या अमेरिका के मैने राज्य के बराबर है। यह भारत के 640 जिलों में 364वें स्थान पर आता है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व 493 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1,280 प्रति वर्ग मील। इसकी जन्मदर 2001–2011 की जनसंख्या के मुकाबले 11.95 प्रतिशत रहा। जीन्द जिले का लिंगानुपात 1000:870 है और साक्षरता दर 72.7 प्रतिशत है। हरियाणवी और पंजाबी यहॉ की मुख्य बोलियां हैं।[7]

3.1.3.5 भिवानी जिला : विभिन्न आयाम

भिवानी जिला उतरी भारत के हरियाणा राज्य का 22 जिलों में से एक है। 22 दिसम्बर 1972 को बने इस जिले का कुल क्षेत्रफल 5,140 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें 14,25,022 जनसंख्या वाले 442 गांव आते है। इस जिले का मुख्यालय भिवानी शहर है। जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 124 किलोमीटर दूर है। भिवानी के अतिरिक्त इस के मुख्य कस्बे है– सिवानी, चरखीदादरी, लोहारु, तोशाम, बवानीखेडा और बाढड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार यह हरियाणा के 21 जिलों में फरीदाबाद और हिसार को छोड़कर तीसरे स्थान पर है। यह जिला पांच उपमण्डलों– भिवानी, चरखी दादरी, लोहारु, सिवानी और तोशाम को मिलाकर बना है। ये उपमण्डल आगे सात तहसीलों में बंट गए। इस जिले में छह विधानसभा क्षेत्र है। भिवानी जिले में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी है।

2011 की जनगणना के अनुसार भिवानी की जनसंख्या 1,63,445 है, जो कि देश गिन्नी बिसाउ या अमेरिका के इदाहो राज्य के बराबर है। यह जिला जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 640 जिलों में से 306 वें स्थान पर आता है। इस जिले का जनंसख्या घनत्व 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 880 प्रति वर्ग मील है। 2001–11 तक इस की जनसंख्या की वृद्धि दर 14.70 प्रतिशत रही और इसका लिंगानुपात 1000 : 884 का है। इसकी साक्षरता दर 76.7 प्रतिशत है।[8]

3.1.3.6 हिसार मण्डल : अन्य आयाम

हिसार मण्डल के पांच जिलों की जंनसख्या, विकास दर तथा लिंग अनुपात संबंधी विवरण निम्न तालिका 3.3 द्वारा दर्शाया गया है–

तालिका 3.3

हिसार मण्डल में जंनसख्या, विकास दर तथा लिंग अनुपात

क्र0 स0	जिला का नाम	जिला मुख्यालय	जनसंख्या 2011	विकास दर (प्रतिशत)	लिंग अनुपात
1	भिवानी	भिवानी	16,34,445	1.70	866
2	फतेहाबाद	फतेहाबाद	9,42,011	16.85	902
3	हिसार	हिसार	17,43,931	13.45	872
4	जीन्द	जीन्द	13,34,152	12.13	870
5	सिरसा	सिरसा	12,95,189	15.99	897

(स्त्रोत– हरियाणा के जिले 20 अगस्त 2014)

हिसार मण्डल के जिलों की साक्षरता दर, क्षेत्रफल तथा घनत्व संबंधी विवरण नीचे दी गई तालिका संख्या 3.4 में दिया गया है–

तालिका 3.4

हिसार मण्डल के जिलों की साक्षरता दर, क्षेत्रफल तथा घनत्व

क्र. सं.	जिला का नाम	जिला मुख्यालय	साक्षरता दर प्रतिशत	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर	घनत्व वर्ग किलोमीटर
1	भिवानी	भिवानी	75.21	5,140	341
2	फतेहाबाद	फतेहाबाद	67.92	2,538	371
3	हिसार	हिसार	72.89	3,788	438
4	जीन्द	जीन्द	72.7	2,702	493
5	सिरसा	सिरसा	68.82	4,276	303

(स्त्रोत–हरियाणा सामान्य ज्ञान, अमर उजाला पब्लिकेशन, हरियाणा, 2016)

3.2 हरियाणा राज्य : विद्यालयी शिक्षा

हरियाणा राज्य में विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा, उपस्थिति एवं वृद्धि दर में वृद्धि हो सके, जिनका वर्णन इस प्रकार है–

- बालिकाओं के लिए 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
- प्रवर्तनशील मजदूरों एवं अन्य कार्यशील मजदूरों के बच्चों हेतु कार्यस्थल के नजदीक स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से स्कूलों (बचपनशालाओं) की व्यवस्था की गई है।
- गुडगांव, फरीदाबाद एवं पंचकुला में बेघर, बेसहारा एवं सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए छात्रावासों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
- शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े सभी 36 विकास खण्डों में मॉडल स्कूलों तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई है।
- कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत छात्रों को डेढ़ गुणा राशि प्रदान की जाती है।
- इसके अतिरिक्त मुफ्त साईकिलों, पुस्तकों एवं पोषाकों (वर्दी) आदि की व्यवस्था की गई है।
- भिवानी में एक मल्टी इन्टेलिजेंस स्कूल एस. राधाकृष्णनन स्कूल की स्थापना की जा रही है। इस स्कूल की स्थापना एक लैबोरेट्री स्कूल के रुप में की जा रही है, जो अमेरिकी मनोविज्ञानिक, दार्शनिक एवं शिक्षा सुधारक जॉन ड्यूवी द्वारा 1930 के दशक में अमेरिका में स्थापित किए गए प्रायोगिक स्कूल के मॉडल पर आधारित है।
- विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा तथा 6वी सें 8वीं तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दोपहर को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है।[9]

3.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1994 में 7 राज्यों के 42 जिलों में प्रांरभ किया गया तथा धीरे–धीरे 27 राज्यों के लगभग सभी जिलों में आंरभ किया गया। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति पर बल देने वाली एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम का लक्ष्य मुख्यतः यह है कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं सुलभ कराई जाएं, ताकि प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों के अनुपात को घटाकर 10 प्रतिशत से कम पर लाया जाए, प्राथमिक स्कूलों के छात्रों की अधिगम उपलब्धि में कम से कम 25 प्रतिशत का संवर्धन किया जाए तथा लड़के–लड़कियों एवं सामाजिक वर्गों के अंतर को घटाकर 5 प्रतिशत से भी कम पर लाया जाए।[10] कार्यक्रम कार्यान्वयन की इकाई के रुप में जिले का चयन निम्न आधार पर किया जाता है–

- शैक्षिक कार्यान्वयन की इकाई के रुप में जिले का चयन जिनमें साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम हैं।
- और ऐसे जिले जिनमें सामग्री साक्षरता अभियान सफल रहे है और जिनके फलस्वरुप प्रारम्भिक शिक्षा की मांग बढ़ी है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए परियोजना तैयार करने हेतू गहन और अनूठी प्रक्रिया अपनाई गई। एक ओर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा भारतीय प्रबंधन संस्थाओं जैसी दिग्गज संस्थाओं के विपुल अनुभव भंडार का लाभ उठाया गया, वहीं साठ हजार विद्यार्थियों के पढाई–स्तर की जांच की गई। इस के उपरान्त उक्त 42 जिलों के लिए परियोजनाएं तैयार की गई।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संबधी दिशा–निर्देश अप्रैल 1993 में तैयार किए गए। मई 1995 में भारत सरकार ने ये मार्गनिर्देश विधिवत् रुप से जारी किए। 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 5.12 में संकल्प व्यक्त किया गया है कि वर्तमान शताब्दी की समाप्ति से पूर्व 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अच्छी शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। सर्वव्यापक प्रारंभिक शिक्षा नाम से ज्ञात इस लक्ष्य के तीन पहलू बताए गए हैंः–

- सर्वव्यापक पहुंच और नांमाकन।

- 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का प्रतिधारण।
- शिक्षा स्तर में उल्लेखनीय सुधार ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सर्वव्यापक प्रांरभिक शिक्षा के इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता–प्राप्ति के समय से ही प्रयास चलते रहे हैं और इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। इस शिक्षा से अब वह वर्ग वंचित रह गया, जिस तक पहुंचना बहुत कठिन काम है।[11]

3.4 मध्याह्न भोजन योजना तथा हरियाणा राज्य

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, लगभग 12 करोड़ बच्चों को कवर करता है। यह विश्व के एक सबसे बड़े स्कूल खाद्य कार्यक्रम के रुप में उभरा है। अगस्त 1995 में शुरु की गई स्कीम को सितम्बर 2004 में संशोधित किया गया था।

स्कीम के अन्तर्गत, निम्न में कक्षा 1–5 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों को कम से कम 300 कैलारी और 8–12 ग्राम प्रोटीन के साथ पके हुए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में 3.34 करोड़ बच्चों को भोजन दिया गया। वर्ष 2006–07 में यह संख्या बढ़कर 12 करोड़ हो गई। वर्ष 2007–08 में इस योजना पर लगभग 7300 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर स्थाई निगरानी समितियों का गठन किया गया है। कई स्थानों पर खाना पकाने का कार्य महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करते हैं। शहरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर स्वयं सेवी संगठनों ने यह कार्यभार संभाला है।[12]

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015–16 के लिए मिड डे मील के लिए वार्षिक कार्य योजना व बजट के लिए लगभग 320 करोड 78 लाख रु0 की राशि स्वीकृत की है, जिसमें 210 करोड़ 73 लाख रु0 का केन्द्रीय हिस्सा व 110 करोड़ 4 लाख रु0 का राज्य का हिस्सा शामिल है। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी. एस. ढेसी की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मिड डे मील की स्टियरिंग एवं मोनिटरिंग

कमेटी की बैठक में इस वार्षिक कार्य योजना और बजट को स्वीकृत प्रदान की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना से वर्ष 2015–16 के दौरान प्रदेश के 19,40,604 बच्चों को शामिल किया गया, जिसमें प्राथमिक स्कूलों के 11,99,619, उच्च प्राथमिक स्कूलों के 7,36,838 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत 4,147 बच्चों को शामिल किया गया है।[13]

3.4.1 मध्याह्न भोजन योजना : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय

भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्राप्ति के लिए कई स्तर निश्चित किए गए हैं जैसै– प्राथमिक शिक्षा स्तर, उच्च प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा स्तर, उच्च शिक्षा या सैकेण्डरी शिक्षा स्तर। इन स्तरों का ब्यौरा मध्याह्न भोजन योजना के लिए बहुत ही आवश्यक है। हरियाणा में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सख्या का ब्यौरा तालिका 3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5

हरियाणा में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

जिला का नाम	प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
अम्बाला	485	136	621
भिवानी	677	159	836
फरीदाबाद	241	43	284
फतेहाबाद	389	89	478
गुरुग्राम	383	91	474
हिसार	522	102	624
झज्जर	307	53	360
जीन्द	438	99	537
कैथल	377	75	452
करनाल	496	122	618

कुरुक्षेत्र	499	185	684
महेन्द्रगढ	503	133	636
मेवात	492	263	755
पलवल	360	143	503
पंचकूला	277	82	359
पानीपत	246	58	304
रेवाडी	412	98	510
रोहतक	236	36	272
सिरसा	535	122	657
सोनीपत	442	81	523
यमुनानगर	611	238	849
कुल योग	8,928	2,408	11,336

(स्त्रोत–निदेशक, सैकेण्ड्री / माध्यमिक / प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़)

3.4.2 प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की वार्षिक संख्या (कक्षा 1 से 5)

बच्चे ही देश का भविष्य हैं और एक राज्य व देश का विकास बच्चों की जागरुकता व शिक्षा पर निर्भर करता है। अर्थात एक देश के नागरिक कितने जागरुक और शिक्षित हैं। यदि देश के नागरिकों में शिक्षा प्राप्त करने की चाह है तो वह देश विश्व के शिखर तक पहुंच सकता है। विकसित देशों के विकास का आधार ही वहां के शिक्षित नागरिकों, युवाओं, महिलाओं व बच्चों को माना जाता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो विद्यार्थियों को शिक्षा देती है। शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्यां के आधार पर ही सरकार द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है।

हरियाणा में प्राथमिक विद्यालय श्रेणीवार विद्यार्थियों की वार्षिक संख्या (कक्षा 1 से 5 तक) का विवरण नीचे दी गई तालिका 3.6 में दर्शाया गया है जो कि इस प्रकार से है–

तालिका 3.6

हरियाणा के प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की वार्षिक संख्या

(कक्षा 1 से 5)

वर्ष	छात्र	छात्राएं	योग
1970–71	6,10,764	2,48,228	8,58,992
1975–76	7,51,761	3,52,291	11,04,052
1980–81	8,22,640	4,22,847	12,45,487
1985–86	9,47,888	6,27,665	15,75,553
1990–91	8,99,520	7,15,098	16,14,618
1995–96	10,25,420	8,70,477	18,95,897
2000–01	10,63,730	9,54,125	20,17,855
2005–06	10,66,744	9,30,747	19,97,491
2007–08	11,83,564	10,29,893	22,13,457
2009–10	12,06,621	10,77,634	22,84,255
2010–11	13,31,946	11,11,667	24,43,613
2012–13	13,88,039	11,61,583	25,49,622
2013–14	13,64,827	11,49,036	25,13,863
2014–15	13,66,974	11,57,506	25,24,480

(स्त्रोत–हरियाणा सामान्य ज्ञान, अमर उजाला पब्लिकेशन, हरियाणा, 2016)

उपरोक्त तालिका 3.6 से स्पष्ट होता है कि हरियाणा में सन् 1970–71 में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 8,58,992 थी जिसमें छात्र 6,10,764 और छात्राएं 2,48,228 थी। जो कि 2012–13 में 25,49,622 हो गई है। जिनमें छात्र 13,88,039 और छात्राएं 11,61,583 तक बढ गई है। और इस प्रकार 2012–13 में इनकी कुल संख्या में लगभग 3 गुणा वृद्धि हुई। हरियाणा में 2005–06 में प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के लागू होने से विद्यार्थियों की संख्या में 19,97,491 तक की वृद्धि हुई है। जिसमें छात्रों की संख्या में 10,66,744 तक की

वृद्धि और छात्राओं की संख्या में 9,30,747 तक की वृद्धि हुई है और इस प्रकार हरियाणा में प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न योजना के लागू होने से सन् 2012–13 तक विद्यार्थियों की संख्या में 25,99,622 तक की संख्या में वृद्धि हुई है जो कि 2005–06 में विद्यार्थियों की संख्या में 2012–13 में विद्यार्थियों की संख्या का 2 गुणा से भी अधिक वृद्धि दर्शाता है। सन् 2014–15 में प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 25,24,480 हो गई जिसमें लड़कों की संख्या 13,66,974 तथा लड़कियों की संख्या 11,57,506 है। इस प्रकार यह तलिका लड़कियों की संख्या में वृद्धि भी दर्शा रही है।

3.4.3 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की वार्षिक संख्या (कक्षा 6 से 8)

हरियणा राज्य में शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन किया गया है जिसमें शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, बच्चों को अनेक प्रकार की सुविद्याएं प्रदान करवाना जैसे निःशुल्क किताबें, वर्दियां, मध्याह्न भोजन व अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इन सभी उद्देश्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार के पास बच्चों की संख्या संबंधी आंकड़ें उपलब्ध होंगे। इसलिए कई प्रकार के शोध भी किए जाते हैं। सांख्यिकी विभाग द्वारा प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को नीचे दी गई तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7

हरियाणा के उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थियों की वार्षिक संख्या

(कक्षा 6 से 8)

वर्ष	छात्र	छात्राएं	योग
1970–71	2,62,392	73,292	3,35,684
1975–76	2,90,118	92,094	3,82,212
1980–81	3,51,514	1,25,778	4,77,292
1985–86	4,08,991	1,78,566	5,87,557
1990–91	4,58,477	2,67,948	7,26,425

1995–96	4,77,060	3,40,709	8,17,769
2000–01	5,33,181	4,18,313	9,51,494
2005–06	6,33,189	5,26,647	11,59,836
2007–08	6,40,266	5,49,797	11,90,073
2009–10	6,63,676	5,86,101	12,49,777
2010–11	7,06,622	5,74,246	12,80,868
2012–13	7,62,887	6,19,089	13,81,976
2013–14	7,93,536	6,49,324	14,42,860
2014–15	7,95,786	6,51,111	14,46,897

(स्त्रोत–हरियाणा सामान्य ज्ञान, अमर उजाला पब्लिकेशन, हरियाणा, 2016)

उपरोक्त तालिका 3.8 से स्पष्ट होता है कि हरियाणा में सन् 1970–71 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या 3,35,684 थी, जिसमें छात्र 2,62,392 और छात्राएं 73,292 थी। जो कि 2012–13 में 1,38,976 हो गई है। जिसमें छात्रों की संख्या 7,62,887 और छात्राओं की संख्या 6,19,089 तक की वृद्धि हुई है। इस प्रकार सन् 2012–13 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 4 गुणा की वृद्धि हुई है। हरियाणा में सन् 2007–08 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी मध्याह्न भोजन योजना के लागू होने से भी विद्यार्थियों की संख्या में 1,19,00,783 तक की वृद्धि हुई है, जिसमें से छात्र की संख्या 6,40,266 तक की वृद्धि हुई है और छात्राओं की संख्या में 5,49,797 तक की वृद्धि हुई है और इस प्रकार हरियाणा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के लागू 2007–08 होने से सन् 2012–13 तक विद्यार्थियों की संख्या में 13,81,976 तक थी वृद्धि हुई है जो कि सन् 2007–08 में विद्यार्थियों की संख्या से सन् 2012–13 में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग 2 गुणा तक की वृद्धि दर्शाता है। सन् 2014–15 में विद्यार्थियों की कुल संख्या 14,46,897 हो गई जिसमें लड़कों की संख्या 7,95,786 तथा लड़कियों की संख्या 6,51,111 है। इस प्रकार यह तलिका लड़कियों की संख्या में वृद्धि भी दर्शा रही है।

3.4.4 प्राथमिक विद्यालयों में जिलेवार विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 1 से 5)

हरियाणा राज्य में शामिल सभी जिलों में मध्याह्न भोजन योजना लागू है। इसलिए सभी जिलों में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत सभी बच्चों को लाभ मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाये गए हैं। किसी भी योजना की सफलता उसकी उचित सूचनाओं और आंकड़ों पर निर्धारित होती है इसलिए मध्याह्न भोजन योजना को सुचारु रुप से चलाने के लिए जिलेवार प्राथमिक विद्यालयों के 1 से 5वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों की संख्या का विवरण नीचे दी गई तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8

हरियाणा के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में विद्यार्थियों की संख्या (2015–16)

जिला का नाम	छात्र	छात्राएं	योग
अम्बाला	15,671	15,611	31,282
भिवानी	27,351	29,766	57,117
फरीदाबाद	21,670	24,582	46,252
फतेहाबाद	22,274	22,207	44,481
गुरुग्राम	25,306	25,775	51,081
हिसार	29,183	30,699	59,882
झज्जर	10,143	11,055	21,198
जीन्द	24,283	25,372	49,655
कैथल	22,184	22,407	44,591
करनाल	27,370	27,879	55,249
कुरुक्षेत्र	18,908	18,206	37,114
महेन्द्रगढ़	12,820	14,029	26,849
मेवात	55,947	53,768	1,09,715
पलवल	27,432	30,742	58,174
पंचकुला	12,947	12,266	25,213

पानीपत	18,476	19,667	38,143
रेवाड़ी	12,191	13,195	25,386
रोहतक	11,721	13,155	24,876
सिरसा	30,273	30,141	60,414
सोनीपत	21,543	22,528	44,071
यमुना नगर	19,999	20,504	40,503
कुल योग	**4,67,692**	**4,83,554**	**9,51,246**

(स्त्रोत– एमआईएस पोर्टल, हरियाणा, 2016)

उपरोक्त तालिका 3.9 हरियाणा में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत जिले के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या का विवरण दिया गया है जिसमें प्रत्येक जिला के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का विवरण भी दिया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि हरियाणा में मध्याह्न भोजन योजना के लागू होने से प्रत्येक जिले के विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिनमे से कुछ जिलों के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है, जैसे कि अम्बाला जिले के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की संख्या 15,671 और छात्राओं की संख्या 15,611 है और इन छात्रों को मिलाकर 31,282 कुल संख्या में वृद्धि हुई है। भिवानी में प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या 57,117 है, जिसमें छात्रों की संख्या 2,7351 और छात्रायों की संख्या 29,766 है तथा अन्य जिलों में इस योजना के तहत क्रमानुसार वृद्धि दर्शायी गई है।

3.4.5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिलेवार विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 6 से 8)

शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान प्राप्त करने से है। अगर शिक्षा को प्राप्त करने वाले छात्र ही नहीं होंगे तो शिक्षा का मूल्य व औचित्य ही नहीं रहेगा अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में छात्र ही नहीं होंगे तो विद्यालय व शिक्षा संस्थानों को कोई महत्व नहीं रहेगा। विद्यालयों में छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया।

हरियाणा के सभी जिलों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या नीचे दी गई तालिका 3.9 में दर्शाया गया है–

तालिका 3.9

हरियाणा के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में विद्यार्थियों की संख्या (2015–16)

जिला का नाम	छात्र	छात्राएं	योग
अम्बाला	12,901	12,448	25,349
भिवानी	19,720	23,485	43,205
फरीदाबाद	13,981	16,843	30,824
फतेहाबाद	16,513	16,262	32,775
गुरुग्राम	15,688	16,503	32,191
हिसार	21,818	24,508	46,326
झज्जर	8,063	9,213	17,276
जीन्द	18,727	21,181	39,908
कैथल	16,750	17,829	34,579
करनाल	20,329	20,509	40,838
कुरुक्षेत्र	14,016	13,404	27,420
महेन्द्रगढ़	8,624	10,558	19,182
मेवात	26,447	21,705	48,152
पलवल	15,979	18,492	34,471
पंचकुला	7,865	7,398	15,263
पानीपत	12,431	14,257	26,688
रेवाड़ी	9,320	10,755	20,075
रोहतक	9,110	11,148	20,258
सिरसा	22,215	21,748	43,963
सोनीपत	15,965	17,351	33,316
यमुना नगर	14,510	14,836	29,346
कुल योग	**3,20,972**	**3,40,433**	**6,61,405**

(स्त्रोत– एमआईएस पोर्टल, हरियाणा, 2016)

उपरोक्त तालिका 3.10 में हरियाणा के प्रत्येक जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या का विवरण दिया गया है। जिसमें प्रत्येक जिला के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में छात्र–छात्राओं की अलग–अलग संख्या का विवरण भी दिया गया है। उपरोक्त तालिका को देखने पर स्पष्ट होता है कि मध्याह्न भोजन योजना के लागू होने से प्रत्येक जिला के विद्यार्थियों में भारी संख्या में वृद्धि हुई है। जिनमें से कुछ जिलों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या का विवरण इस प्रकार से है–जैसे कि अम्बाला जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय के लडकों की संख्या 12,901 और छात्राओं की संख्या 12,448 है और इन छात्रों को मिलाकर 25,349 कुल संख्या में वृद्धि हुई है। भिवानी के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या 43,205 है जिनमें से लड़कों की संख्या 19,720 और लड़कियों की संख्या 23,485 है और अन्य जिलों में भी इस योजना के तह्त क्रमानुसार वृद्धि दशाई गई है।

3.5 राज्य पोषाहार तथा व्यय मापदण्ड

राज्य पोषाहार एवं व्यय मापदण्डों के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से राशन में जो पोषाहार तत्व प्रदान किए जाते हैं तथा बच्चों पर जितना खर्च किया जाता है उसका विवरण नीचे दी गई तालिका 3.10 में दर्शाया गया है :–

तालिका 3.10

राज्य पोषाहार एवं व्यय मापदण्डों के अनुसार पोषाहार तत्वों एवं लागत का प्रति बच्चा प्रतिदिन का विवरण

क्र0 स0	आहार सूची	मात्रा (ग्राम)	लागत की मात्रा (रुपये में)	क्लोरीज	प्रोटीन (ग्राम)
1	खाद्य पदार्थ (गेहूँ/चावल)	145/245	निःशुल्क	501.70/845	18.56/16.16

2	दालें	30	1.05	100.2	7.2
3	सब्जियां	124	1.31	112.5	6.9
4	तेल/वसा	59	0.8	126	—
5	नमक	—	0.3	—	—
6	मूंगफली	10	0.8	113.4	—
7	सोयाबीन की मात्रा	25	0.81	108	5.06
8	गुड़	100	1.7	372	10.5
9	जिनजली बीज	10	0.13	—	0.4
10	काला चना	30	0.43	108.00	—
11	ईंधन	—	0.3	—	—
12	मेहनत व अन्य प्रशासनिक खर्च	—	0.4	—	—
13	कुल	—	7.94	—	—

(स्त्रोत : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय, फतेहाबाद)

तालिका 3.10 में पोषाहार एवं व्यय मापदण्डों के अनुसार पोषाहार तत्वों एवं लागत का प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से विवरण दिया गया है। उपरोक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य सरकार द्वारा बच्चों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति चिन्तित है।

3.6 मध्याह्न भोजन योजना : व्यंजनों की सूची

पत्र क्रमांक 1/23–2002 एम0डी0एम0(1) दिनांक 19–10–10, चण्डीगढ़ के अनुसार विद्यालयों तथा जिला व खण्ड़ शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया गया है कि सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के अर्न्तगत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए दिए जाने वाले व्यंजनों की संशोधित सूची निम्न तालिका 3.11 व 3.12 के द्वारा दर्शाया गया है:–

तालिका 3.11

प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले व्यंजनों की संशोधित सूची

(कक्षा 1 से 5)

क्र.	खाने का प्रकार	कच्चे अनाज की मात्रा (ग्राम)	प्रोटीन (ग्राम)	ऊर्जा (कि.कैल.)
1.	**सब्जियों का पुलाव**			
क	चावल	100	6.4	346
ख	मूंगफली	10	2.53	56.7
ग	आलू	50	1.3	48.5
घ	घी	5	0	45
ड़	नमक, स्वादानुसार	0	0	0
2.	**पौष्टिक खिचड़ी**			
क	चावल	100	6.4	346
ख	चने की दाल	30	7.2	104
ग	घी	5	0	45
घ	नमक, स्वादानुसार	0	0	0
ड़	अदरक	20	3.66	112.6
3.	**दाल और चावल**			
क	चावल	100	6.4	346
ख	दाल	20	5.6	70
ग	प्याज और टमाटर इत्यादि	5	1.2	72.75
घ	रिफाईन्ड तेल	5	0	45
ड़	नमक अैर मसाले इत्यादि (स्वादानुसार)	0	0	0
4.	**कड़ी और चावल**			
क	चावल	100	6.4	346
ख	बेसन	20	3.8	72
ग	दही/लस्सी	120	1.2	17
घ	प्याज	5	1.2	72.75
ड़	रिफाईन्ड तेल	5	0	45
च	नमक, स्वादानुसार	0	0	0
5.	**चावल और काला चना आलू के साथ**			
क	चावल	100	6.4	346

ख	काला चना	20	3.4	72
ग	प्याज	5	1.2	72.75
घ	आलू, हरा धनिया	75	1.2	10
ड़	रिफाईन्ड तेल	5	0	45
च	नमक स्वादानुसार	0	0	0
6.	**मीठी खीर**			
क	चावल	100	6.4	346
ख	दूध	60	0.6	10
ग	चीनी	25	0	100
घ	मुंगफली	20	5.06	113.4
7.	**रोटी और मौसमी सब्जी**			
क	गेहूं	100	12.1	341
ख	सब्जी	50	0.5	50
ग	प्याज और मसाले	50	0.6	25
घ	रिफाईन्ड तेल	5	0	45
ड़	नमक स्वादानुसार	0	0	0
8.	**आटे का हलवा और काले चने**			
क	गेहूं	100	12.1	341
ख	काले चने	20	5.2	114
ग	चीनी	20	0	80
घ	रिफाईन्ड तेल	8	0	72
9.	**रोटी और दाल**			
क	गेहूं	100	12.1	341
ख	दाल	20	5	70
ग	प्याज	50	0.6	25
घ	रिफाईन्ड तेल	5	0	45
ड़	नमक स्वादानुसार	0	0	0
10.	**भरवा परांठा**			
क	गेहूं	100	12.1	341
ख	आलू, हरा धनिया, नमक	75	1.2	10
ग	प्याज	50	0.6	25
घ	रिफाईन्ड तेल	10	0	90
11.	**मीठी दलिया**			
क	गेहूं	100	12.1	341

ख	दूध	60	0.6	10
ग	चीनी	25	0	100
12.	**आटे की सेवइयाँ**			
क	गेहूं	100	12.1	341
ख	दूध	60	0.6	10
ग	चीनी	25	0	100
13.	**चावल और सफेद चना आलू के साथ**			
क	चावल	100	6.4	346
ख	सफेद चने	20	3.4	72
ग	आलू, हरा धनिया, नमक	75	1.2	10
घ	प्याज	5	1.2	72.75
ड़	रिफाईन्ड तेल	5	0	45
14.	**चावल और राजमाह चना आलू के साथ**			
क	चावल	100	6.4	346
ख	राजमाह	20	3.4	72
ग	प्याज	5	1.2	72.75
घ	आलू, हरा धनिया, नमक	75	1.2	10
ड़	रिफाईन्ड तेल	5	0	45
15.	**रोटी और दाल, मटर**			
क	गेहूं	100	12.1	341
ख	आलू	50	0.5	50
ग	मटर	20	5.6	70
घ	प्याज और अन्य मसाले	50	0.6	25
ड़	रिफाईन्ड तेल	5	0	45
च	नमक स्वादानुसार	0	0	0
16.	**भरवाँ परांठा**			
क	गेहूं	100	12.1	341
ख	मूली, गोभी, पालक, मेथी और मौसमी सब्जी, हरा धनिया इत्यादि, नमक	75	1.2	10
ग	प्याज	50	0.6	25
घ	रिफाईन्ड तेल	10	0	90
	कुल योग	**235**	**13.9**	**466**

तालिका 3.12

माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले व्यंजनों की संशोधित सूची (कक्षा 6 से 8)

क्र.	खाने का प्रकार	कच्चे अनाज की मात्रा (ग्राम)	प्रोटीन (ग्राम)	ऊर्जा (कि.कैल.)
1.	**सब्जियों का पुलाव**			
क	चावल	150	10.2	517.50
ख	मूंगफली	30	7.60	170
ग	आलू	5	0.30	45
घ	घी	5	0	0
ड़	नमक स्वादानुसार	0	0	0
2.	**पौष्टिक खिचड़ी**			
क	चावल	15	10.2	517.50
ख	चने की दाल	40	9.80	139.20
ग	घी	7	0	63
घ	नमक, स्वादानुसार	0	0	0
ड़	अदरक	40	7.32	225.2
3.	**दाल और चावल**			
क	चावल	150	10.2	517.5
ख	दाल	25	7	87.5
ग	प्याज और टमाटर इत्यादि	10	2.4	145.5
घ	रिफाईन्ड तेल	6	0	54
ड़	नमक अैर मसाले इत्यादि (स्वादानुसार)	0	0	0
4.	**कढ़ी और चावल**			
क	चावल	150	10.2	517.5
ख	बेसन	30	5.7	108
ग	दही/लस्सी	120	1.2	17
घ	प्याज	10	2.4	145.50
ड़	रिफाईन्ड तेल	6	0	54
च	नमक स्वादानुसार	0	0	0
5.	**चावल और काला चना आलू के साथ**			
क	चावल	150	10.2	517.5

ख	काला चना	30	5.1	108
ग	प्याज	10	2.4	145.50
घ	आलू, हरा धनिया	75	1.2	10
ड़	रिफाईन्ड तेल	6	0	54
च	नमक स्वादानुसार	0	0	0
6.	**मीठी खीर**			
क	चावल	150	10.2	5174.5
ख	दूध	100	1.0	16
ग	चीनी	50	0	200
घ	मूंगफली	40	10	225.6
7.	**रोटी और मौसमी सब्जी**			
क	गेहूं	150	18.15	511.5
ख	सब्जी	75	0.75	75
ग	प्याज और मसाले	10	2.4	145.5
घ	रिफाईन्ड तेल	6	0	54
ड़	नमक स्वादानुसार	0	0	0
8.	**आटे का हलवा और काले चने**			
क	गेहूं	150	18.15	511.5
ख	काले चने	30	7.8	171
ग	चीनी	30	0	120
घ	रिफाईन्ड तेल	8	0	72
9.	**रोटी और दाल**			
क	गेहूं	150	18.15	511.5
ख	दाल	25	7	87.5
ग	प्याज	10	2.4	145.5
घ	रिफाईन्ड तेल	6	0	54
ड़	नमक स्वादानुसार	0	0	0
10.	**भरवाँ परांठा**			
क	गेहूं	150	18.15	511.5
ख	आलू, हरा धनिया, नमक	100	1.6	13.33
ग	प्याज	50	0.6	25
घ	रिफाईन्ड तेल	10	0	90
11.	**मीठा दलिया**			
क	गेहूं	150	18.15	511.5

ख	दूध	100	1	16
ग	चीनी	50	0	200
12.	**आटे की सेवइयाँ**			
क	गेहूं	150	18.15	511.5
ख	दूध	100	1	16
ग	चीनी	50	0	200
13.	**चावल और सफेद चना आलू के साथ**			
क	चावल	150	10.2	517.5
ख	सफेद चने	30	5.1	108
ग	आलू, हरा धनिया, नमक	75	1.2	10
घ	प्याज	10	2.4	145.5
ड़	रिफाईन्ड तेल	6	0	54
14.	**चावल और राजमाह चना आलू के साथ**			
क	चावल	150	10.2	517.5
ख	राजमाह	30	5.1	108
ग	प्याज	10	2.4	145.5
घ	आलू, हरा धनिया, नमक	75	1.2	10
ड़	रिफाईन्ड तेल	5	0	45
15.	**रोटी और दाल, मटर**			
क	गेहूं	150	18.15	511.15
ख	आलू	75	0.75	75
ग	मटर	25	7	87.5
घ	प्याज और अन्य मसाले	10	2.4	145.5
ड़	रिफाईन्ड तेल	5	ृ	54
च	नमक स्वादानुसार	0	0	0
16.	**भरवा परांठा**			
क	गेहूं	150	18.15	511.5
ख	मूली, गोभी, पालक, मेथी और मौसमी सब्जी, हरा धनिया इत्यादि, नमक	100	1.6	13.33
ग	प्याज	50	0.6	25
घ	रिफाईन्ड तेल	10	0	90
	कुल योग	**310**	**20.35**	**639.83**

इसके अन्तर्गत स्कूलों के मुखिया को यह दिशा–निर्देश दिए गए हैं कि उपरोक्त व्यजनों में से किसी भी दिन कोई भी व्यंजन बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यंजन सप्ताह में दो बार नहीं बनेगा। ये सभी व्यंजन विद्यालय प्रागंण में तथा स्कूल के मुखिया की देख–रेख में बनेंगे। स्कूल का मुखिया यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवता और मात्रा ठीक हो और स्कूल का मुखिया बच्चों को परोसने से पहले भोजन को चखेगा।[14]

3.7 मध्याह्न भोजन योजनाः सप्ताहिक आहार मीनू

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले साप्ताहिक आहार मीनू की सूची को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नीचे दी गई तालिका 3.13 में इस प्रकार से दर्शाया गया हैः–

तालिका 3.13

मध्याह्न भोजन योजना साप्ताहिक आहार तालिका मीनू

दिन	मीनू	व्यंजन का प्रकार	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री (प्राथमिक विद्यालयों हेतु)	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री (उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु)
सोमवार	रोटी सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग अथवा नमकीन दलिया	गेहूं की रोटी एवं दाल की बड़ी (दाल की बड़ी में मौसमी सब्जियों का स्वादा नुसार मिश्रण) अथवा दलिया (उपरोक्तानुसार मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन सहित	आटा 10 कि0ग्रा0, सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी तथा सब्जी 6 किलोग्राम तेल/घी 500 ग्राम	आटा 15 कि0ग्रा0, सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी तथा सब्जी 9 किलोग्राम तेल/घी 750 ग्राम
मंगलवार	चावल सब्जी युक्त दाल अथवा चावल साम्भर	चावल एवं सब्जी (मौसमी मिश्रित दाल, अरहर की दाल)	दाल 2 किलो ग्राम, चावल 10 किलोग्राम तेल/घी 500 ग्राम	दाल 3 किलो ग्राम, चावल 15 किलोग्राम तेल/घी 750 ग्राम
बुधवार	कढ़ी चावल अथवा खीर	चावल बेसन मठ्ठा/दही मिश्रित कढ़ी चावल	चावल 10 किलो ग्राम, 10 ली0 दूध से बना दही, बेसन् 2.5	चावल 15 किलो ग्राम, 15 ली0 दूध से बना दही, बेसन 3.75

		मानकानुसार दूध, चीनी मेवे के मिश्रण	किलोग्राम, तेल/घी 500	किलोग्राम, तेल/घी 750
वीरवार	रोटी–सब्जी युक्त दाल अथवा नमकीन दलिया	गेहूं की रोटी एवं दाल (दाल में मौसमी सब्जियों का स्वादानुसार मिश्रण) अथवा गेहूँ का दलिया (उपरोक्तानुसार मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन सहित)	आटा 10 कि0ग्रा0, सब्जी मिश्रित दाल 6 किलोग्राम तेल/घी 500 ग्राम	आटा 15 कि0ग्रा0, सब्जी मिश्रित दाल 9 किलोग्राम तेल/घी 750 ग्राम
शुक्रवार	तहरी	चावल एवं सब्जी (आलू, सोयाबीन एवं समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जियां)	चावल 10 कि0 ग्रा0, सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त 6 किलो ग्राम तेल/घी 500 ग्राम	चावल 15 कि0 ग्रा0, सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त 9 किलो ग्राम तेल/घी 750 ग्राम
शनिवार	सब्जी–चावल, सोयाबीन अथवा खीर	चावल एवं सोयाबीन तथा मसाले एवं ताजी सब्जियां चावल मानकानुसार दूध, चीनी मेवे के मिश्रण	चावल 10 कि0 ग्रा0, सब्जी सोयाबीन 6 किलो ग्राम चावल 10 किलो ग्राम, दूध 10 ली0 एवं चीनी 3 किलो ग्राम	चावल 15 कि0 ग्रा0, सब्जी सोयाबीन 9 किलो ग्राम चावल 15 किलो ग्राम, दूध 15 ली0 एवं चीनी 4. 5 किलो ग्राम

(स्त्रोत–हरियाणा सरकार निर्देशानुसार, मध्याह्न भोजन योजना, प्रबन्धन, चण्ड़ीगढ़, 2016)

3.8 मध्याह्न भोजन योजना : संबंधित रिकार्ड

भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति को बढ़ावा देना है ताकि हम विश्व में भारत देश को शिक्षा कें क्षेत्र में लोकप्रिय बना सकें। किसी भी प्रकार की योजना को चलाने के लिए उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता पड़ती है और क्रियान्वयन के लिए उस योजना से संबंधित रिकार्ड रखना आवश्यक है। रिकार्ड के आधार पर ही सरकार द्वारा

दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं। रिकार्ड का योजना में एक अलग ही महत्व होता है, जिसमें प्रत्येक प्रकार की जानकारी संकलित होती है। मध्याह्न भोजन योजना का हरियाणा राज्य में निम्नलिखित प्रकार से रिकार्ड रखा जाता है–

- मध्याह्न भोजन योजना वितरण रजिस्टर।
- राज्य खाद्य निगम गोदाम द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं की सूची।
- यातायात के व्यय का बिल अथवा प्राप्ति रसीद।
- अनाज उठाने के अभिलेख।
- चावल स्टॉक रजिस्टर।
- कैश मीमो अथवा खरीद सूची।
- स्टॉक रजिस्टर–चावल के अलावा अन्य अनाजों के लिए।
- अखाद्य वस्तुओं हेतु स्टॉक रजिस्टर।
- प्रतिदिन खर्च किए गए या व्यय रजिस्टर।
- भोजन अदायगी रजिस्टर।
- पकाने से संबंधित भुगतान रजिस्टर।[15]

3.9 मध्याह्न भोजन योजना तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

हरियाणा में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बच्चों को प्रतिदिन व अन्य समय में होने वाली बीमारियों की भी जांच की गई। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा अधिकतर विद्यालयों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया। जिसमें 10,601 विद्यालयों में 14,08,707 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 5,097 विद्यालयों में 9,58,794 बच्चों को आयरन व फोलिक ऐसिड़ की गोलियां वितरित की गई और 2,382 विद्यालयों में 1,91,791 बच्चों को विटामिन ए का वितरण किया गया।[16]

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ा है। इसके अन्तर्गत लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों की संख्या का विवरण नीचे दी गई तालिका 3.14 में इस प्रकार दर्शाया गया है–

तालिका 3.14

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उठाने वाले विद्यालयों व विद्यार्थियों की संख्या का विवरण

क्र0 स0	विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	स्वास्थ्य की जांच	10,601	14,08,707
2	आयरन और फोलिक ऐसिड	5,097	9,58,794
3	विटामिन ए का वितरण	2,382	1,91,791
4	टेबलेट	4,989	7,07,430

(स्त्रोत– एमडीएम.निक.इन)

3.10 मध्याह्न भोजन योजना : ऑन लाईन निर्देशन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार ने एम0डी0एम0 स्कीम के निर्देशन के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्धारित मापदण्ड़ों के अनुसार ऑन लाईन मॉनिटरिंग शुरु कर दी है। इसके अनुसार ऑन लाईन सिस्टम उन छात्रों के आंकड़े इक्ट्ठे करने में सहायक होगा जो इस एम0 डी0 एम0 स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और खण्ड स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के लिए 'लॉग इन' सिस्टम चालू किया है। साथ ही एम0 डी0 एम0 मॉनिटरिंग के लिए कुकिंग कोस्ट और कुकों को दिए जाने वाले मानदेयों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। अधिकारियों को स्वयं सहायता समूह के कुक को अदायगी छात्र संख्या के आधार पर की जानी है, जिनके लिए भोजन पकाया गया है। इसके तहत राज्य सरकार ने कुकिंग खर्च तथा कुकों को दी जाने वाली राशि की पहली किस्त इस एम0 डी0 एम0 स्कीम के लिए जारी की जा चुकी है जो कि प्राईमरी तथा उच्च प्राईमरी स्कूलों द्वारा संचालित की जा रही है।[17]

हरियाणा में एप्लीकेशन मिड डे मील हरियाणा के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड की जा सकती है। इस एप्लीकेशन पर फीडिंग का काम करके एमडीएम से संबंधित जानकारी अपडेट करनी होगी। मौलिक शिक्षा विभाग, पंचकूला की और से 11 फरवरी 2016 को जारी एक पत्र में इस काम को जल्दी शुरु करवाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की तरफ से स्कूलों के एमडीएम

इन्चार्ज, स्कूल मुख्यध्यापक के मोबाईल नं., स्कूल कोड सूची बनवाकर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि डाटा मीनूअली न होकर आनलाईन तरीके से हो। शिक्षा विभाग में किसी भी समय कहीं भी लॉग–इन करके योजना से संबंधित डाटा को देखा जा सकेगा। इसके अलावा गणना करने, रिपोर्ट बनाने में भी सहायता मिलेगी तथा एमडीएम का काम किस तरह से हो रहा है, इसकी पारदर्शिता बनी रहेगी। मिड डे मील हरियाणा के नाम से बनाई गई एप्लीकेशन का प्रयोग निःशुल्क रहेगा। इस एप्लीकेशन पर सभी स्कूलों में मिड डे मील के तहत दिए जाने वाले खाने की मात्रा, रेसिपी, मेन्यू, कुक वर्कर संख्या आदि की जानकारी देनी होगी।[18]

3.11 मध्याह्न भोजन योजना : विशिष्ट उपलब्धियाँ

हरियाणा राज्य के विशेष सन्दर्भ में मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित कुछ विशिष्ट उपलब्धियों का आंकलन निम्न प्रकार से है–

- पूर्व में खाद्यान्न वितरण हेतु यह व्यवस्था प्रचलित थी कि जिस महीने में भोजन दिया जाना था, उसी महीने में खाद्यान्न विद्यालयों तक पहुंचता था। इस व्यवस्था में इस बात की प्रबल सम्भावना रहती थी कि महीने के प्रारंभ के दिनों में खाद्यान्न विद्यालय तक न पहुंचने के कारण भोजन पकाया जाना संभव नहीं होता था। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य विभाग प्रदेश के साथ समन्वय कर भोजन वितरण के माह से पूर्ववर्ती माह में ही खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था लागू की गयी।
- योजना के अनुपालन हेतु प्रभावी व्यवस्था के निरुपण के लिए शासनादेश संख्या 1720/79–6–2007 दिनांक 18 जून 2007 द्वारा परिवर्तन लागत का दैनिक आय–व्यय लेखा विवरण प्रपत्र, दैनिक खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर प्रपत्र एवं ग्राम पंचायत स्तरीय मासिक सूचना प्रपत्र पर सूचना संकलन की व्यवस्था की गयी है । इसके अतिरिक्त निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के स्तर से विद्यालय, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर मिड डे मील रजिस्टर की व्यवस्था की गयी है, ताकि खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के व्यय का लेखा जोखा सही रुप से रखा जा सके।

- मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के आधार पर विद्यालयों के श्रेणीकरण की व्यवस्था की गयी है। श्रेणीकरण के विभिन्न मानक भोजन की गुणवता, उपलब्धता, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, स्वच्छता, पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति एवं अभिलेखों का रखरखाव आदि है।[19]
- मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित हरियाणा में 2016 में प्रति छात्र प्रतिदिन भोजन की निश्चित मात्रा व खर्च लागत का ब्यौरा निम्न तालिका 3.15 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.15

प्रति छात्र प्रतिदिन भोजन की निश्चित मात्रा व खर्च लागत, 2016

विवरण	प्रति छात्र प्रति दिन प्राथमिक स्तर पर	प्रति छात्र प्रति दिन उच्च प्राथमिक स्तर
प्रति दिन दिए जाने वाले गेहू/चावल की मात्रा	100 ग्राम	150 ग्राम
भोजन से प्राप्त न्यूनतम भोजन की मात्रा	450 किलो कैलोरी	700 किलो कैलोरी
भोजन से प्राप्त न्यूनतम प्रोटीन की मात्रा	12 ग्राम	20 ग्राम
परिवर्तन लागत	4.13 रु	6.18 रु
नोटः जहां पर सोयाबीन का प्रयोग हो वहां पर 1 किलो सोयाबीन प्राथमिक स्तर पर एवं 1.5 किलो सोयाबीन उच्च प्राथमिक स्तर हेतु प्रयोग करें		

(स्त्रोत–हरियाणा सरकार निर्देशानुसार, मध्याह्न भोजन योजना, प्रबन्धन, चण्ड़ीगढ़, 2016)

- सरकार द्वारा जारी नवीन मीनू के अनुसार विद्यालयों की दीवारों पर 6X8 साइज की सारणी में पेंट करवाया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और परोसा जा रहा भोजन मीनू के अनुरुप है या नहीं।
- परिवर्तन लागत के मद में प्राप्त धन के आवंटन को ग्राम निधी के पृथक बैंक खाते में रखे जाने की व्यवस्था का निरुपण, ताकि व्यय का सही लेखा जोखा रखा जा सके।

संदर्भ सूची

1. विकीपीडिया आरगेनाइजेशन / विकी आरगेनाइजेशन डॉट हरियाणा
2. अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा, 2016
3. हरियाणा सामान्य ज्ञान, अमर उजाला, पब्लिकेशन, 2016, पृष्ठ संख्या 112–113
4. हिसार जिला, विकीपीडिया / विकी–हिसार–डिस्ट्रीक
5. फतेहाबाद–विकीपीडिया / विकी–फतेहाबाद–हरियाणा
6. सिरसा–विकीपीडिया / विकी–सिरसा–हरियाणा
7. जीन्द–विकीपीडिया / विकी–जीन्द–हरियाणा
8. भिवानी–विकीपीडिया / विकी, भिवानी–हरियाणा
9. हरियाणा सामान्य ज्ञान, अमर उजाला, पब्लिकेशन, 2016, पृष्ठ संख्या 112–113
10. अग्रवाल, जे.सी. तथा गुप्ता, एस., ''भारत में प्रारंभिक शिक्षा'' शिप्रा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ संख्या–138
11. गुप्ता आर के, ''जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'' शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ संख्या–25
12. गुप्ता, ''भारत में प्रारंभिक शिक्षा स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात् (परियोजना कार्य सहित)'' शिप्रा प्रकाशन, दिल्ली, 2009, पृष्ठ सख्या–143–144
13. हरियाणा सरकार ''मिड डे मील वार्षिक कार्य योजना व बजट'' चण्ड़ीगढ़, (mdm.nic.in) 5 मार्च, 2015
14 कार्यक्रम अधिकारी, मिड–डे–मील, निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ ''अपराह्न भोजन योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले व्यंजनों की संशोधित सूची'', यादी क्रमांक जी–1–10 / 15424–490 दिनांक 28 अक्तूबर, 2010
15 मध्याह्न भोजन योजना प्रशिक्षण सामग्री–हरियाणा सरकार की मूल लिपि, निदेशालय मौलिक शिक्षा विभाग, पंचकूला, पृष्ठ संख्या 1–2.
16 mdm.nic.in

17 दैनिक द पायॅनियर समाचार पत्र, नई दिल्ली, 10 मई, 2013 (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.दपायॅनियर.कॉम)

18 http#//www.bhaskar.com/news.html

19 निदेशक मौलिक शिक्षा कार्यालय, हरियाणा, पंचकूला, 2016